समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का]
0621-2212105 [आ] 2217285 [फै]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

****

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 13.01.2017 को मद्य निषेध कार्यक्रम के तहत् मानव श्रृंखला निर्माण की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

मद्य निषेध अभियान के द्वितीय चरण के तहत दिनांक 21.01.2017 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है । विभाग के द्वारा इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है । उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया :–

1. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदरधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में सेक्टरवार वसावट विहीन निर्जन स्थानों को चिन्हित करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन दिनांक 14.01.2017 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । साथ ही उक्त स्थल पर मानव स्त्रोंत एवं मानवबल की सम्बद्धता उनकी दूरी सहित प्रतिवेदन भी उपलब्ध करायें ।

2. वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कांटी के द्वारा बताया गया कि मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग को मिलाकर कुल 23 किलोमीटर में मानव श्रृंखला बनाया जाना है, जिसे चिन्हित करा लिया गया है ।

3. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड/पंचायत के सभी पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों, प्रखण्ड प्रमुख, मुखियागण, सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष की उपस्थिति में तैयार माईक्रोप्लान को अंतिम रूप देते हुए दिनांक 14.01.2017 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाए, ताकि उसे विभाग को भेजा सके । इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में लिया जाए ।

4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता के द्वारा बताया गया कि भी.सी. के माध्यम से प्रधान सचिव महोदय के द्वारा निदेश दिया गया कि मद्य निषेध के समर्थन में मानव श्रृंखला निर्माण से संबंधित बड़े–बड़े जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाए, जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभागी शामिल हों ।

5. अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि दिनांक 15.01.2017 को जिलास्तर पर मोटर साईकिल रैली को बड़े पैमाने पर आयोजन कराया जाए । उक्त रैली में शिक्षा विभाग के शिक्षकों, समाहरणालय एवं अनुमंडस्तर के सभी सरकारी कर्मी भाग लें । इसके अलावा अन्य लाईन विभाग के कर्मी भी इस रैली में भागीदारी निभायें । इस हेतु रूट निर्धारित कर लिया जाए तथा सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए । यह रैली प्रातः 10.00 से निकाली जाए जो दो–तीन प्रखण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करंगी । उप विकास आयुक्त इसका अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे ।

6. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 14.01.2017 को पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, सिकन्दरपुर में पतंगबाजी प्रतियोगिता हेतु सभी आवश्यक तैयारियां करा ली जाए । इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाए और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए । यह भी निदेश दिया गया कि सभी विद्यालय/महाविद्यालय के छात्रों को इस प्रतियोगिता में शामिल कराया जाए । साथ ही इस प्रतियोगिता में मीडिया के कर्मियों को शामिल कराने की कार्रवाई की जाए ।

7. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डों में भी पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए एवं अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए ।

8. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में भी मोटर साईकिल रैली का बड़े पैमाने पर आयोजन कराया जाए । इस हेतु अभी से ही सारी तैयारियां कर ली जाए ।

9. अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी को निदेश दिया गया कि जिलास्तर पर दिनांक 16.01.2017 को साईकिल रैली आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए । उक्त रैली में सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को शामिल किया जाए । इसके अलावा एन0सी0सी0/एन0एस0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, जन वितरण प्रणाली के कर्मियों को भी शामिल किया जाए । इसका रूट आदि को चिन्हित कर सभी संबंधित विद्यालयों को सूचना उपलब्ध करा दी जाए । यह रैली 10.30 बजे से प्रारंभ होगी । इसमें कम से कम 4 से 5 हजार प्रतिभागियों की व्यवस्था की जाए । अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे ।

10. अनुमडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि दिनांक 19.01.2017 को आयोजित किये जाने वाहे पैदल मार्च हेतु रूट एवं प्रारंभिक स्थान को चिन्हित कर लिया जाए । उक्त पैदल मार्च में सभी सरकारी/निजी विद्यालयों, स्कॉउट एवं महाविद्यालयो के छात्र एवं स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए । जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि इस हेतु अभी से ही तैयारी प्रारंभ कर दी जाए एवं सभी संबंधितों को सूचना उपलब्ध करा दी जाए । इस पैदल मार्च में शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, सेविका/सहायिका, ममता आदि को बुलाया जाए । पैदल मार्च के कार्यक्रम में आगे एवी पीछे बैण्ड पार्टी रहेगा, जो मद्य निषेध से संबंधित गानों की धुन पर वादन करेंगे । जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस हेतु सभी लोगों को मोबाइल के माध्यम से मैसेज भेज दिया जाए ।

11. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी एवं सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 17.01.2017 को मानव श्रृंखला का सभी जगह पूर्वाभ्यास करा दिया जाए ।

12. दस्तावेजीकरण कोषांग (Documentation Cell) के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला से संबंधित पूरे जिले में चलाये जा रहे गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से संधारित कराना सुनिश्चित करें ।

13. नवोन्मेष कोषांग (Innovatation Cell) के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला से संबंधित सभी प्रकार के गतिविधियों/कार्यक्रमो को क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें । यह भी निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला के तीन-चार दिन पूर्व से एक बड़ा गुब्बारा शहर के सुगोचर स्थान पर प्रदर्शित करा दिया जाए ।

14. उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्त, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन को निदेश दिया गया कि अगले एक सप्ताह में जिलास्तर एवं पंचायतस्तर पर की जाने वाली गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली जाए । जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वरीय उप समाहर्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा से बात कर कार्यक्रम निर्धारित करा दिया जाए ।

15. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित सेक्टर में दूर–दराज क्षेत्रों से मानव संसाधन को लाने हेतु सभी प्रखण्डों में आवश्यक संख्या में वाहनों की व्यवस्था करा दी जाए ।

16. जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिलास्तर पर भी आवश्यक संख्या में बड़ी एवं छोटी वाहनों की व्यवस्था कर रख लिया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार उन वाहनों का उपयोग किया जा सके । यह भी निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित मार्ग से विपथन कर अन्य मार्म पर वाहन के परिचालन की व्यवस्था करा दिया जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में कम से कम 4–4 बसों को उपलब्ध करा दिया जाए । सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है उक्त वाहनों का आकस्मिकता की स्थिति में उपयोग किया जाएगा ।

17. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला के द्रिन सभी निर्धारित मार्गों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे । यह भी निदेश दिया गया कि इस हेतु नगर निगम में समन्वय स्थापित कर लिया जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक 21.01.2017 को कार्यक्रम के अवसर प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर चलंत/अस्थायी शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि प्रतिभागियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

18. अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे संचालित सभी लाईन होटलों के संचालकों को दिनांक 21.01.2017 को पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु विधिवत पत्र जारी कर निदेश दे दिया जाए ।

19. अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 21.01.2017 को निर्धारित सभी मार्गों पर एम्बुलेंस, आवश्यक दवाईयों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे ।

20. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन विभाग को भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों की सूची तैयार कर समय पर प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । प्रतिवेदन कोषांग के सभी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसको अचूक रूप से सुनिश्चित करायेंगे ।

21. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार/पंचायतवार ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालकों को चिन्हत कराते हुए विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सी0डी0 उन्हें उपलब्ध करा दी जाए । साथ ही उन्हें निदेशित कराया

जाए कि प्रत्येक दिन उस सी0डी0 को बजायेंगे । साथ ही सभी मंदिरों एवं मस्जिदों के पुजारियों/मौलानाओं को भी सी0डी0 उपलब्ध करा दी जाए, ताकि प्रार्थना/अजान के बाद उसका वादन सुनिश्चित करायेंगे ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 310 /गो., दिनांक 17/01/17

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, अपदा प्रबंधन/विभागीय जांच/अपर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/सहायक समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा/जिला अवर निबंधक/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0 एस0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका/जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/निदेशक, एन.ई.पी./निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी.आर.डी.ए., मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी/पश्चिमी/जिला लेखा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नोडल पदाधिकारी, आर.टी.पी.एस./समाहरणालय स्थित सभी प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा/सभी थानाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिलास्तरीय अन्य पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पूर्वी/पश्चिमी/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या 01 एवं 02, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पूर्वी–1 एवं 2/पश्चिमी/कार्यपालक अभियंता, एन0एच0,–1/2, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।